



राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (मध्यप्रदेश का तकनीकी विश्वविद्यालय)

एयर पोर्ट, बायपास रोड, गाँधी-नगर भोपाल – 462033
दूरभाष क्रमांक (0755)-2583656, 2678899 फ़ैक्स (0755)-2742006

एफ-3/प्रशासनिक /रागांप्रौवि/2011/2568

भोपाल, दिनांक 01/07/11

रोजगार-सूचना

राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा निम्न तालिका अनुसार रिक्त लिपकीय एवं अलिपकीय पदों हेतु पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:-

क्र	पदनाम	आयु (वर्षों में)	रॉस्टर अनुसार रिक्त पद	अ.ज.ज.	अ.ज.	अ.पि.व.
		न्यु	अधि	अना.		
अ. लिपकीय पद						
01	सहायक ग्रेड - 1	28	40	01	01	01
02	सहायक ग्रेड -2	25	40	04+01*	02	01
03	सहायक ग्रेड -3	20	35	05	02+01*	02+01*
04	स्टेनोटाइपिस्ट	20	35	05+02*	02	02
05	वाहन चालक	20	35	—	01	—
ब. अलिपकीय पद						
01	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर-1	20	35	02	—	—
02	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर-2	20	35	01	01	—
03	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर-3	20	35	06+03*+01**	03+01*	02+01*
04	प्रयोगशाला तकनिशियन ग्रेड-2	20	35	02+01*	01	01
05	इलेक्ट्रिशियन	20	35	01	01	—
06	प्रयोगशाला परिचालक ग्रेड-2	20	35	07+04*+01**	03+01*	03+01*

लघुरूप अ.ज., अ.ज.ज. एवं अ.पि.व. से अभिप्राय मध्यप्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग, श्रेणी से है। अना. से अभिप्राय अनारक्षित श्रेणी * से अभिप्राय महिला एवं ** से अभिप्राय विकलांग उम्मीदवारों से है।

उपरोक्त पदों के लिए निर्धारित अर्हता, अनुभव एवं वेतनमान विश्वविद्यालय के लिपकीय और अलिपकीय सेवा भरती नियम-2007 के मापदण्ड अनुरूप होगी, जो विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.rgpv.ac.in पर उपलब्ध है। इच्छुक उम्मीदवार आवेदन पत्र उपरोक्त वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।

पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र समस्त सहपत्रों एवं रु 300.00 (वापसी योग्य नहीं) के डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि कुलसचिव, आर.जी.पी.व्ही, भोपाल के पक्ष में भोपाल में देय हो, सचिव, तकनीकी मण्डल, ब्लॉक A/4 गौतम नगर, भोपाल के कार्यालय में दिनांक 16 अगस्त, 2011 की सांय 05:00 बजे तक लिये जावेगे। आवेदन पत्र के लिफाफे पर “-----पद के लिए आवेदन पत्र” आवश्यक अंकित किया जाना चाहिए।

नोट:-

- आवेदक अपने आवेदन पत्र के साथ लगाए जाने वाले शैक्षणिक अर्हता, अनुभव एवं सभी प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।
- आवेदन पत्र के साथ आवेदक को अपना पासपोर्ट साईज का फोटो चस्पा करना अनिवार्य होगा, जो किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिये।
- अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण अथवा असत्य जानकारी देने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
- एक से अधिक पदों हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक आवेदन एवं डिमाण्ड ड्राफ्ट देना आवश्यक होगा।

- ऐसे उम्मीदवार जो वर्तमान में किसी संस्था में कार्यरत है, उन्हें अपना आवेदन उचित माध्यम से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ऐसा न किये जाने की स्थिति में आवेदन पत्र को अमान्य किया जा सकेगा।
- अगर आवेदक के 02 से अधिक संतान है, जिसमें एक का जन्म 26.1.2001 को या इसके पश्चात हुआ है, तो ऐसे उम्मीदवार नियुक्ति के लिए अपात्र होंगे।
- कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु के पूर्व विवाह कर लिया है, तो वे नियुक्ति हेतु अपात्र होंगे।
- केवल संक्षिप्त सूची में उपलब्ध उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित है।
- उपरोक्त तालिका में दर्शित पदों की संख्या में बढ़ोतरी या कमी अथवा किसी भी पद को न भरने का अधिकार विश्वविद्यालय प्रशासन को होगा।
- प्रत्येक पद के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा की गणना 01 जनवरी 2011 से की जावेगी। आयु सीमा में छूट शासन के नियमानुसार एवं विश्वविद्यालय के लिपकीय और अलिपकीय सेवा भरती नियम-2007 अनुसार उपलब्ध होगी।
- अनुसूचित जाति/अनुसूजित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला एवं विकलांग उम्मीदवारों को मध्यप्रदेश राज्य शासन के नियमानुसार आरक्षण उपलब्ध होगा।
- अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के पद केवल म.प्र. के मूल निवासियों के लिये आरक्षित है एवं जाति के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
- मध्यप्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को आवेदन पत्र के साथ रु 300.00/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट देय नहीं है।
- मध्यप्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को म.प्र. शासन के नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा।

कुलसचिव